मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –78/2023 वाद

GCMS No.–2023/399

किशनलाल पुत्र खेमा गायरी निवासी टीलाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादी

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र देवा गायरी निवासी बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. घासीलाल पुत्र उदा गायरी निवासी बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. निर्मलाबाई पत्नी अशोक जाट निवासी बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. प्यारीबाई पत्नी नानुराम गायरी निवासी बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. भागीरथ पुत्र हरिराम गायरी निवासी टीलाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. रामलाल पुत्र देवा गायरी निवासी बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. सुरेश पुत्र घासीलाल जाट निवासी बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. हीरालाल पुत्र नानुराम गायरी निवासी बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1–श्री नरेन्द्र …

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:20:20 IST
Reason: SelfAttested

::निर्णय:: दिनांक 08.04.2024

1. प्रकरण आज वादी की और से अधिवक्ता श्री …न्द्र वैष्णव की उपस्थिति …तम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 05.10.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा बड़ौलीघाटा पटवार हल्का बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 4 की आराजी नम्बर 14 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 15 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्युबवैल, आराजी नम्बर 16 रकबा 1.1300 हैक्टेयर कुल किता–3 कुल रकबा 2.0900 हैक्टेयर भूमि का बटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 8 के मध्य उनके वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुये बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवाड़ा किया जावें। वादी का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से 8 का हक हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बदस्तुर शामिल रखा जावें। अगर कोई प्रतिवादी बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपना हक हिस्सा अलग करवाना चाहता है तो उसका हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/1968 दिनांक 28.12.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

2. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा बड़ोलीघाटा पटवार हल्का बडोलीघाटा तहसील निम्बाहेडा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1 भागीरथ पुत्र हरिराम गायरी सा. देह हाल टीलखेड़ा खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
17 (उत्तरी दिशा)	0.33	चाही 3
18	0.01	ट्यूबवेल
19 (उत्तरी दिशा)	0.43	चाही 3
किता–3	0.77	–

2 किशनलाल पुत्र खेमा गायरी सा. देह हाल टीलाखेड़ा खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
14 मध्य	0.34	चाही 3
16 मध्य	0.43	चाही 3
किता–2	0.77	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:20:20 IST
Reason: SelfAttested

3 अंबालाल पुत्र देवा 1/6 [illegible] पुत्र उदा 1/6 गायरी, निर्मलाबाई पत्नी अशोक 1/6 जाट, प्यारीबाई पत्नी [illegible] 1/6 गायरी, रामलाल पुत्र देवा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

1/15 गायरी, सुरेशचंद्र पुत्र घासीलाल 1/5 जाट, हिरालाल पुत्र नानुराम 1/6 गायरी, सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
14 दक्षिण दिशा	0.25	चाही 3
16 दक्षिण दिशा	0.27	चाही 3
किता–2	0.52	–

4. बदस्तुर शामलाति

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
14 पूर्व दिशा में रास्ता हेतु	0.03	चाही 3
किता–1	0.03	–

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 08.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:20:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner